अति महत्वपूर्ण

पत्र संख्या -फार्म अनु0 -फार्म -38 मुद्रण (555 III वाल्यूम)/2011-12/ **95/ 1112044** /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर,वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश

(फार्म अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: **08** अगस्त ,2011

समस्त,

जोनल एडीशनल कमिश्नर /

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0 नु0शा0)/

ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) / डिप्टी कमिश्नर/

असि0 कमि0 ,वाणिज्य कर / वाणिज्य कर अधिकारी,

उत्तर प्रदेश ।

सचल दल द्वितीय इकाई आगरा के अधिकारियों के द्वारा सड़क मार्ग से परिवहित किये जा रहे माल के साथ उपलब्ध आयात घोषणा -पत्र (फार्म-38) की जांच पर पाया गया कि उक्त फार्म -38 विभाग द्वारा अधिकृत रुप से जारी नहीं किया गया है वरन जाली है , जिसको या तो स्कैनिंग के द्वारा अथवा प्रिंटिग के माध्यम से तैयार किया गया है। उक्त कृत्य के लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्व सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करा दी गयी है परन्तु ऐसी परिस्थिति में प्रवर्तन कार्य से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है जिससे कि जाली फार्मो के माध्यम से करापवंचन की स्थिति न उत्पन्न हो।

2. इस सम्बन्ध में निम्नवत् कतिपय मार्गदर्शी बिन्दु अंकित किये जा रहे हैं जिसके आधार पर समस्त अधिकारी फार्मो के दुरुपयोग पर अंकुश लगा सकते हैं।

3. विभाग द्वारा निजी सिक्योरिटी प्रेस से जो फार्म -38 मुद्रित कराकर वितरण कराये गये हैं उनमें जो सिक्योरिटी फीचर्स (विशेषताएँ) हैं एवं जो फार्म -38 जॉच के समय पाया गया था उसमें निम्न विसंगतियॉ पायी गयी हैं :-

क्र0 स0	**विभाग द्वारा छपाये गये फार्मो में सिक्योरिटी फीचर्स**	**जॉच के समय पाये गये फार्म-38 के तथ्य**
1	फार्मो का मुद्रण सिक्योरिटी फीचर्स सहित 70 जी0एस0एम0 के मैपलिथो पेपर पर किया गया है।	सम्बन्धित फार्म-38 के पेपर की क्वालिटी वास्तविक फार्म -38 के पेपर की क्वालिटी से निम्न स्तर की पायी गयी।
2	फार्मो का मुद्रण उत्तर प्रदेश सरकार वाणिज्य कर विभाग की वृत्ताकार जलांकित सीलयुक्त पेपर पर किया गया है।	सम्बन्धित फार्म पर वाणिज्य कर विभाग की वृत्ताकार जलांकित सील नहीं पायी गयी।
3	पेपर में अदृश्य तार डला हुआ है जो यू0 वी0 प्रकाश में नजर आयेगा।	पेपर में अदृश्य तार यू0 वी0 प्रकाश में नजर नहीं आता है ।
4	फार्म में प्रिन्टिंग सिक्योरिटी चेक पैटर्न डाला गया है।	इस फार्म में प्रिन्टिंग सिक्योरिटी चेक पैटर्न नहीं पाया गया है।
5	फार्म का अन्त: पृष्ठ औरेंज फ्लोरासेन्ट इंक में छपा हुआ है जो यू0 वी0 प्रकाश में चमकेगा और फोटो कॉपी कराने पर कलर बदल जायेगा।	विवादित फार्म -38 के पृष्ठ भाग का प्रिन्ट मैटेरियल का कलर औरिजनल फार्म से भिन्न पाया गया है।
6	फार्मो की छपाई में स्पेशल ब्लीड इंक का प्रयोग हुआ है जो केमिकल लगाने से उतर जायेगा।	इस फार्म की छपाई में स्पेशल ब्लीड इंक का प्रयोग नहीं हुआ है।

4. उपरोक्त के प्रकाश में अधिकारी द्वारा प्रपत्रों के साथ उपलब्ध फार्म-38 के प्रथम दृष्टया जाली होने के संदेह पर सिक्योरिटी प्रेस सर्वश्री गोपसंस प्रिन्टर्स, सी-26 सेक्टर -57 नोएडा से जॉच करायी गयी । मुद्रक द्वारा यह बताया गया कि विवादित फार्म -38 संख्या बी0बी0 -1358747 उनके यहॉ प्रिन्ट नहीं किया गया है । इस फार्म की जॉच पर यह भी पाया गया कि सम्बन्धित फार्म -38 पर कार्यालय द्वारा लगायी जाने वाली चार मोहर लगी हुई हैं । चारों मोहरें इंक पैड से स्कैनिंग अथवा प्रिन्टिंग के बाद लगाई गयी है तथा फार्म पर कार्यालय से फार्म जारी करते समय लगायी जाने वाली मोहरों का कोई निशान नहीं है । इससे एक सम्भावना यह है कि फार्म बिना कार्यालय की मोहरें लगे जारी कर दिया गया है जिसको स्कैन कराकर उपयोग किया गया है अथवा दूसरी संभावना यह है कि सम्बन्धित फार्म -38 को प्रिन्ट किया गया है । प्रिन्ट किये जाने की स्थिति में फार्म -38 की काफी प्रतियॉ प्रिन्ट की जानी सम्भावित है । विभाग द्वारा छपाये गये फार्म -38 एवं प्रश्नगत फार्म -38 में विशेष अंतर जिससे इन दोनों में अंतर बिना किसी उपकरण के देखा जा सकता है वह मात्र दो हैं :-

I.प्रश्नगत फार्म पर वाणिज्य कर विभाग की वृत्ताकार जलांकित सील नहीं है जो सूर्य की ओर करने अथवा लाइट में देखने पर आसानी से देखी जा सकती है ।

II.फार्म 38 के पृष्ठभाग पर वास्तविक फार्म पर प्रिन्टिंग का कलर औरेन्ज है जिसमें लाल रंग अधिक है जबकि प्रश्नगत फार्म पर औरेंज कलर में पीला अधिक है जो अंतर दोनो फार्मो को सामने रखने पर साफ दिखायी पड़ता है ।

5. पूर्व में मुख्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति कम्प्यूटर परिपत्र संख्या -0910089 दिनांक 15/2/10 व पत्र संख्या - फार्म अनु0 (555)/2009-10/आ0घो0पत्र (फार्म -38)/ 308 दिनांक 11/2/10 से फार्म -38 में जो भी विशेषताएॅ हैं ,से अवगत कराया गया है ।

6. जोन स्तर पर नामित एडमिनिस्ट्रेटर (विभागीय अधिकारी) के द्वारा कम्प्यूटर से फार्म -38 डाउनलोड करके मुद्रित फार्मो की तरह वितरित किये जाने की वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है जिसके लिये NIC द्वारा दिये गये डिजिटल सिगनेचर पेन ड्राइव नामित एडमिनिस्ट्रेटर (विभागीय अधिकारी) को उपलब्ध कराये गये हैं । नामित एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा फार्म -38 का प्रिन्ट निकालने पर फार्म में सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर कार्यालय का नाम , फार्म -38 का सीरियल नम्बर , डिमाण्ड नम्बर तथा प्रिन्ट की तिथि स्वत: प्रिन्ट होकर आती है तथा उसी डिमाण्ड नम्बर पर अगला फार्म -38 डाउनलोड करने पर अगला सीरियल नम्बर आता है । प्रत्येक जोन में डाउनलोड किये गये फार्म -38 पर हस्ताक्षर करने हेतु जोनल स्तर पर अधिकारी नामित किये गये हैं जिनके द्वारा डाउनलोडेड फार्मो पर लगायी जाने वाली सील व हस्ताक्षर का नमूना फार्मो की सत्यता हेतु समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को मुख्यालय द्वारा प्रेषित किये गये हैं। जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा डाउनलोड किये गये फार्म-38 के सत्यापन के लिये विभागीय वेबसाइट की Officers login पर एक M I S report भी उपलब्ध है जिसके माध्यम से यह सत्यापित किया जा सकता है कि कोई फार्म-38 किस जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा किस तिथि को डाउनलोड किया गया है। इसके अतिरिक्त किसी भी जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा किसी अवधि मे डाउनलोड किये गये फार्मो की संख्या व क्रमांक भी इस M I S report से ज्ञात किया जा सकता है ।

7. विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड किये गये फार्म -38 (विभाग द्वारा अथवा व्यापारी द्वारा) का सत्यापन 9212357123 पर SMS भेजकर भी किया जा सकता है । इसके लिए चालू वर्ष में डाउनलोड किये गये फार्मो के लिए cte<space>f 38m<last10 digits of from38 no.> लिखकर एवं गत वर्ष डाउनलोड किये गये फार्मो के लिए cte<space>f 38p<last10 digits of from38 no.> लिखकर SMS करना होगा ।

8. अत: उपर्युक्त से आपको अवगत कराते हुए यह निर्देश दिये जाते हैं कि प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि फार्म -38 जारी करते समय उनमें जारी करने वाले कार्यालय की सुस्पष्ट मोहर अवश्य लगायी जाय। बिना मोहर लगाये कोई भी फार्म -38 जारी न किया जाय। इसके अतिरिक्त अधिकारियों द्वारा परिवहित किये जा रहे माल के साथ उपलब्ध फार्म -38 की सूक्ष्मता एवं गहराई से जॉच कर यह सुनिश्चित किया जाय कि फार्म -38 सही है अथवा नहीं ? मुद्रित फार्म -38 के जाली होने के संदेह पर तत्काल मुद्रक सर्वश्री गोपसंस प्रिन्टर्स ,नोएडा से जॉच करा लिया जाय कि फार्म -38 की प्रिन्टिंग उनके द्वारा की गयी है अथवा नहीं ? इसी प्रकार विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड किये गये फार्म का सत्यापन वेबसाइट पर उपलब्ध M I S report से अथवा SMS भेजकर कर लिया जाए। सत्यापन के फलस्वरुप फर्जी पाये गये फार्म्स के प्रकरणों में तत्काल सभी सम्बन्धित व्यक्तियों /फर्मो के विरुद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी जाय तथा वाणिज्य कर के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही भी सम्पादित करायी जाय।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

ह0/
(चन्द्रभानु)
कमिश्नर,वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।